राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1699/2007/झुंझुंनूं

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
चिड़ावा, झुंझुंनूं। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स पिलानी इण्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन, लि.,
पिलानी। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31.03.2014

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, चिड़ावा, झुंझुंनूं (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त, (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 08.03.2007 जो अपील संख्या 159/आर. वैट/झुंझुंनूं/2006–07 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति 86,980/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 14.08.2006 को लुहारू पिलानी मार्ग पर ग्राम पीपली के पास वाहन संख्या HR–55A 7671 को जांच हेतु रोका गया। परिवहनीत माल "कर योग्य वाद्य–यंत्र" जो कि नई दिल्ली से पिलानी के लिये परिवहनित किये जा रहे थे के संबंध में दस्तावेज चाहने पर माल प्रभारी श्री जसविन्दर पुत्र श्री हरबंससिंह, निवासी नई दिल्ली द्वारा मैसर्स जयसंस एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली द्वारा हैड मास्टर बिरला सीनियर सैकेन्डर स्कूल, पिलानी को जारी इन्वॉयस क्रमांक 02/057 व 058 दिनांक 13.08.2006 कीमतन रू0 40,005/– व रू0 4,061/–, हैड मास्टर, बिरला शिशु मंदिर, पिलानी को जारी इन्वॉयस क्रमांक 02/55 एवं 056 दिनांक 130.8.2006 कीमतन रू0 44,718/– व हैड मास्टर, बिराल बालिका विद्यापीठ पिलानी को जारी इन्वॉयस क्रमांक

लगातार.....2

02/59 दिनांक 13.08.2006 कीमतन रू0 1,15,875/– प्रस्तुत किये गये। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष माल प्रभारी द्वारा यह भी बयान किया कि वह वह विक्रेता फर्म मैसर्स जयसंस एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली में कार्य करता है तथा परिवहनित माल पंजीकृत फर्म मैसर्स पिलानी इण्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन लि., पिलानी (TIN 08221501555) द्वारा क्रय किया गया हैं एवम् परिवहनीत वस्तुयें के संबंध में यद्यपि अलग–अलग इन्वॉयस पिलानी स्थित अलग–अलगत स्कूलों के नाम से बनवाये गये हैं परन्तु उक्त की सुपुर्दगी प्रत्यर्थी को ही दिये जाने संबंधी निर्देशित किया गया है। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व माल प्रभारी द्वारा दिये गये बयानों के आधारों पर यह अवधारित किया कि राजस्थान राज्य में प्रत्यर्थी जो कि राज्य में पंजीकृत फर्म है, द्वारा राज्य के बाहर से कर योग्य वाद्य यंत्रों की खरीद अपंजीकृत व्यवहारियों (स्कूलों) के नाम से की जाकर राज्य के कर की अपवंचना की गयी है। अत' अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(5)(ए) के तहत् परिवहनित माल को मय वाहन के निरूद्ध किया गया। दिनांक 14.08.2006 को माल प्रभारी द्वारा अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर बयान किया कि परिवहनित माल हेतु दिये गये आदेश की प्रति एवम् प्रत्यर्थी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया कि परिवहनित माल प्रत्यर्थी द्वारा क्रय नहीं किया जाना प्रकर कर, प्रस्तुत इन्वॉसेज में अंकित स्कूलों द्वारा ही क्रय किया जाना प्रकट किया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने माल प्रभारी द्वारा दिये गये बयानों तथा प्रस्तुत आपूर्ति आदेश का अवलोकन कर, यह माना कि प्रत्यर्थी द्वारा स्थानीय स्कूलों में सप्लाई करने के उद्देश्य से परिवहनित माल की राज्य के बाहर से खरीद की गई है किन्तु राज्य के कर की अपवंचना की नीयत से माल के बिल स्कूलों के नाम से जारी करवाये गये हैं। अतः अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया । अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि व स्टोर इन्चार्ज श्री नरेन्द्र सिंह तेनतिया ने उपस्थित होकर लिखित उत्तर प्रस्तुत कर, प्रकरण की सुनवायी जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक को ही करने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने किये गये निवेदन को स्वीकार कर, जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपित कर, आदेश पारित किया गया । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर दी गयी । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....3

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच राज्य में परिवहन के समय माल के साथ अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप 18 ए/वैट–47 प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अतः ऐसी स्थिति में माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज़ 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। लिहाजा, इसे अपास्त कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश यथावत रखने की प्रार्थना की गयी है ।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश का समर्थन कर, अपीलीय स्तर पर दिये गये तर्कों को दोहराते हुये कथन किया कि परिवहनित माल का क्रय एवं भुगतान इन्वॉसेज में अंकित स्कूलों द्वारा ही किया गया है एवम् उक्त संव्यवहार में प्रत्यर्थी का परिदृश्य में नहीं होना प्रकट किया गया। कथन किया कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर, यथास्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था। परन्तु अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों को नजरअन्दाज कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपित की गयी जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2013) 60 वी.एस.टी. 522, कर बोर्ड की समन्वयनपीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख या 227/96/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2002 12 एस.एस.टी. 244, व 25 आर.टी.जे.एस. 27 को प्रोद्धरित कर, पारित अपीलीय आदेश का समर्थन कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि हैड मास्टर बिरला सीनियर सैकेन्डर स्कूल, पिलानी द्वारा जरिये इन्वॉयस क्रमांक 02/057 व 058 दिनांक 13.08.2006 कीमतन रू0 40,005/– व रू0 4,061/–, हैड मास्टर, बिरला शिशु मंदिर, पिलानी द्वारा जरिये इन्वॉयस क्रमांक 02/55 एवं 056 दिनांक 130.8.2006 कीमतन रू0 44,718/– व हैड

लगातार.....4

मास्टर, बिराल बालिका विद्यापीठ पिलानी द्वारा जरिये इन्वॉयस क्रमांक 02/59 दिनांक 13.08.2006 कीमतन रू0 1,15,875/— द्वारा राज्य के बाहर से वेट चुकाकार वाद्य यंत्र स्वयम् के प्रयोग के लिये क्रय किये गये हैं। इस संबंध संबंधित स्कूलों के प्राधानाचार्य द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र व प्रत्यर्थी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र से भी यह स्पष्ट है । अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा केवल माल प्रभारी के बयानों के आधार पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध शास्ति का आरोपण किया गया है । अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की अग्रिम जांच के ही यह अवधारित कर, कि प्रत्यर्थी द्वारा माल का आयात किया गया है शास्ति आरोपित की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अतः रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित आदेश पारित किया गया है जिसके किसी प्रकार के विधिक हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

परिणामतः, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

21.3.2014

(मदन लाल)

सदस्य